



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-206001

संख्या: 1042/मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं० (04)/2008

दिनांक 27 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, में नियुक्त पूर्ण कालिक निदेशकों को उ०प्र० सरकार के वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेश संख्या वे०आ०-2-1314/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में निहित व्यवस्थानुसार तथा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के कार्मिकों के वेतनमान पुनरीक्षण विषयक आदेश संख्या 320/मा० सं० (04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं० (04)/2008 दिनांक 28 फरवरी, 2009 में निहित व्यवस्थानुसार उ०प्र० शासन से इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त होने के प्रतिबन्धाधीन अनन्तित रूप से दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन एतद्वारा निम्नवत् अनुमन्य किये जाने के आदेश किये जाते हैं :-

अपुनरीक्षित वेतनमान	01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान	सादृष्य ग्रेड वेतन
22,400 - 525 - 24,500	वेतन बैंड-4, 37,400 - 67,000	12,000

- उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों का वेतन निर्धारण संगत शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1314/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार किया जायेगा।
- उक्त पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षित वेतन भविष्य में उ०प्र० सरकार द्वारा अनुमन्य कराये जाने वाले वेतन के प्रतिबन्धाधीन होगा तथा उसके सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।
- वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमान में अवशेष का भुगतान निगम के आदेश संख्या 320/मा० सं० (04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं० (04)/2008 दिनांक 28 फरवरी, 2009, संख्या 805/मा० सं० (04)/उ०नि० लि०/2009-43-मा०सं० (04)/2008 दिनांक 26 मई, 2009 एवं आदेश संख्या 804/मा० सं० (04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं० (04)/2008 दिनांक 26 मई, 2009 (अंगीकृत संलग्नक - 782-पी०एण्ड आर० - 28/पाकालि/2009 -60 पी०एण्डआर०/98 दिनांक 18.05.2009) में निहित व्यवस्था प्रकरण विशेष पर (यथाप्रयोज्य) के अनुसार किया जायेगा।
- संबंधित अधिकारी उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान चुनने हेतु विकल्प तथा सहमति पत्र संलग्न प्रारूपानुसार वेतन प्राधिकृत हेतु सक्षम अधिकारी को आदेश निर्गतन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रेषित करेंगे।
- दिनांक 01.01.2006 से देय पुनरीक्षित वेतनमानों के सापेक्ष अन्य भत्तों का पुनरीक्षण उ०प्र० सरकार के अनुरूपता में किया जायेगा।


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1042 (1) मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2009, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 ऊर्जा मंत्रीजी, उ0प्र0 के निजी सचिव।
2. सचिव, उ0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग बापू भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष संख्या 906, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की वेबसाइट WWW.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से


(एसओके0 प्रबन्धनी)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या 1042/मा०सं० (04)/
उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं० (04)/2008, दिनांक 27 जुलाई, 2009
के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण हेतु सहमति पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता हूँ कि उक्त आदेश के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से दिये जाने वाले वेतन निर्धारण, एवं इस सम्बन्ध में उ०प्र० शासन से कोई भिन्न दिशा - निर्देश निर्गत होने की दशा किसी भी प्रकार की त्रुटि/असंगति अथवा अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, निगम द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

विकल्प का प्रारूप

* (1) मैं
दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

* (2) मैं
अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि
.....।

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर
..... न हो जाए।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ / छोड़ दूँ।
वर्तमान वेतनमान

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम

दिनांक -

स्थान -

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 320/मा0 सं0 (04)/उ0नि0लि0/2009-

43-मा0सं0 (04)/2008 दिनांक 28 फरवरी, 2009

का संलग्नक

PRE-REVISED 21350-525-23975	REVISED PAY BAND 37400-67000		
PRE - REVISED BASIC PAY	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
21,350	48,870	11,000	59,870
21,875	50,340	11,000	61,340
22,400	51,850	11,000	62,850
22,925	53,410	11,000	64,410
23,450	55,020	11,000	66,020
23,975	56,680	11,000	67,680
24,500	58,380	11,000	69,380
25,025	60,140	11,000	71,140
25,550	61,950	11,000	72,950

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1327/दस-59 (एम)/2008 दिनांक 11.12.2008

का संलग्नक

Pre-revised scale
Rs.22400-525-24500

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + 12000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade Pay	Revised Basic Pay
22,400	51,850	12,000	63,850
22,925	53,410	12,000	65,410
23,450	55,020	12,000	67,020
23,975	56,680	12,000	68,680
24,500	58,380	12,000	70,380